बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 संख्याः—3/अ0प्र0—1—32/2021 79 /पटना, दिनांक :— 29.11.23

श्री राजेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, शिवहर के पदस्थापन काल में बैद्यनाथपुर से तरियानी छपरा पैकेज सं0—BR-32R-025 में अनियमितता की जाँच, मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया गया। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार पथ में C.C.pavement का कार्य सही नहीं होने, जगह—जगह किनारा टूट जाने, C.C.pavement portion में Flank में मिट्टी का कार्य भी नहीं किये जाने, स्थल पर मुटाई विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने एवं BT कार्य के नीचे के Layer की मुटाई सही नहीं पाये जाने संबंधी आरापों के लिये श्री कुमार से विभागीय पत्रांक—581 अनु0 दिनांक 18.03.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश सं0—18 दिनांक 25.03.2021 द्वारा निलंबित किया गया तथा प्रासंगिक अनियमितताओं पर आरोप पत्र गठित कर कार्यालय आदेश सं0—19 सह पठित ज्ञापांक 662 दिनांक—07.04.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली 2005 के नियम—17 के तहत मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता—4 का कार्यालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में विलम्ब की स्थिति को देखते हुए कार्यहित में श्री कुमार को कार्यालय आदेश सं0—10 सह पठित ज्ञापांक—522 दिनांक—03.03.2022 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी—सह—मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1881 अनु0 दिनांक 22.04.2022 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1308 अनु0 दिनांक 08.08.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 13.10.2022 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में आरोपों के संबंध में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि PCC भाग में Pavement की मुटाई मापने हेतु निगरानी विभाग एवं विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। GSB Gr-I एवं WBM Gr-III के नमूनों का Gradation Test कार्य सम्पादन के पूर्व किया जाना चाहिये।

6. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट है कि मुख्य अभियंता—1 के जाँच प्रतिवेदन में PCC की मोटाई तीन चैनेजों पर मापी गयी थी परन्तु किसी भी चैनेज पर निर्धारित मोटाई के अनुरूप नहीं पायी गयी है। GSB कार्य की जाँच चैनेज 3000 मी0 एवं

4200 मी0 पर की गई जो क्रमशः 65 मि0मी0, 75 मि0मी0 पायी गयी है, जो प्रावधानित मुटाई 200 मि0मी0 से काफी कम है। मोटाई में इतनी कमी का पाया जाना भी स्वीकार योग्य नहीं है। मुख्य अभियंता–1 के जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि–"चैनेज 4200 मी0 पर पथ क्रस्ट की कटाई के फलस्वरूप प्राप्त GSB Grading-I एवं WBM Gr-III के नमूने का Gradation Test कार्यस्थल पर किया गया। Test Result अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत नहीं है।" जिन नमूनों का क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच किया गया है, वह स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। मुख्य अभियंता–1 के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मापी पुस्त में दर्ज की गयी मापी प्रावधानित मात्रा के अनुरूप दर्ज की गयी है, जबकि स्थल जाँच में पायी गयी मुटाई/मात्रा, मापी पुस्तिका में दर्ज मापी से कम पायी गयी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

7. उपर्युक्त आलोक में उपलब्ध अभिलेख/साक्ष्य के समीक्षोपरांत श्री राजेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निदंन की शास्ति एवं वित्तीय क्षति की समानुपातिक वसूली के तहत रू0 7,51,660/– की वसूली की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतः उक्त आलोक में श्री राजेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :–

(i) **निदंन (आरोप वर्ष 2020–21)**

(ii) **राशि रू0 7,51,660/– (सात लाख इक्यावन हजार छः सौ साठ) की वसूली।**

(हस्ताक्षर) 29/11/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–32/2021 2546 दिनांक :– 29.11.23

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, शिवहर/गया/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर/गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रशाखा पदाधिकारी–4/5/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री राजेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/11/23

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in